कार्यालय- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक 550/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/अभि0-1/2007 दिनांक 26 जून,08

कार्यालय आदेश

(BOX में मिलने वाले प्रार्थनापत्रों के निस्तारण हेतु की जाने की कार्यवाही)

1. BOX में डाले जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रार्थना पत्र को शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिस पर नियत तिथि (यदि नियत हो) का विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रेतर कार्यवाही तभी की जायेगी जब आवेदक पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा विरोधी पक्षकार/अधिवक्ता को इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत अथवा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से सूचना दे देगा, इसका अंकन आवेदक पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा विरोधी पक्षकार/अधिवक्ता से हस्ताक्षर करा लिया जायेगा अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई रसीद की छायाप्रति प्रार्थना पत्र पर संलग्न की जायेगी।

विरोधी पक्षकार/अधिवक्ता को इस प्रकार की सूचना न दिये जाने पर BOX में डाले जाने वाले प्रार्थना पत्र को DEFECTIVE की श्रेणी में रखा जायेगा। सम्बन्धित व्यक्ति से दो सप्ताह तक DEFECT दूर किये जाने की प्रतीक्षा की जायेगी तदोपरान्त प्रार्थना पत्र को अभिलेखागार को उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्यालय अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित पीठ के समक्ष आदेश हेतु उसे आगामी कार्य दिवसों के बाद सूचीबद्ध कर दिया जायेगा।

प्रार्थना पत्र को विरोधी पक्षकार/अधिवक्ता को व्यक्तिगत अथवा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिये जाने सम्बन्धी प्रावधान में शिथिल होने की स्थितियाँ निम्न होंगी –

(क) फ्रेश मामलों के सम्बन्ध में, आवेदक पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने पर,

(ख) धारा-25 अथवा धारा-27 के अन्तर्गत उत्पीड़न कार्यवाही से सम्बन्धित प्रार्थनापत्रों में जिला फोरम के नोटिस की प्रति अथवा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिये जाने वाले शपथपत्र में इसका उल्लेख हो।

2. BOX में डाले जाने वाले प्रार्थनापत्रों में URGENT में श्रेणीबद्ध प्रार्थना पत्रों को आगामी कार्यदिवस में सूचीबद्ध किये जाने हेतु कार्यालय अधीक्षक अभिलेखागार को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

BOX में डाले जाने वाले प्रार्थनापत्रों में GENERAL में श्रेणीबद्ध प्रार्थना पत्रों को आगामी कार्यदिवस के बाद की तिथि (day after tomorrow) को सूचीबद्ध किये जाने हेतु कार्यालय अधीक्षक अभिलेखागार को उपलब्ध करा दिया जायेगा। GENERAL में श्रेणीबद्ध वे प्रार्थना पत्र जो मात्र Keep on Record/File से सम्बन्धित हों उन्हें कार्यालय अधीक्षक अभिलेखागार को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।

---2---

3. BOX में डाले जाने वाले निम्न प्रकार के प्रार्थना पत्रों को URGENT के रूप में श्रेणीबद्ध किया जायेगा –

(क) जिला फोरम के धारा-25 से सम्बन्धित नोटिस के मामले।

(ख) जिला फोरम के धारा-27 से सम्बन्धित नोटिस के मामले।

(ग) परिवाद की सुनवाई हेतु पत्रावलियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रार्थनापत्र।

(घ) राज्य आयोग द्वारा पारित निर्णयों के पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रार्थनापत्र।

(च) राज्य आयोग द्वारा पारित निर्णयों में टंकण त्रुटि के निराकरण सम्बन्धी रिकाल प्रार्थनापत्र।

(छ) वृद्ध, विधवा, विकलांग, गंभीर रोगी अथवा अवयस्क पक्षकारों द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र।

(ज) जिला फोरम द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किये जाने हेतु यदि प्रार्थनापत्र शपथपत्र के साथ प्राप्त हो।

4. उक्त बिन्दु 3 में दिये गये मामलों को छोड़कर शेष सभी प्रार्थनापत्रों को GENERAL में श्रेणीबद्ध किया जायेगा।

5. URGENT एवं GENERAL दोनों श्रेणियों से सम्बन्धित आवेदन पत्रों को CAUSE LIST में General Application के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया जायेगा।

6 यह आदेश दिनांक 01.07.2008 से प्रभावी होगा।

भवर सिंह

(न्यायमूर्ति भँवर सिंह)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, राज्य आयोग।
2. मा० सदस्यगण से सम्बद्व सभी आशुलिपिक संवर्ग कर्मी।
3. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण राज्य आयोग को सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर।
4. समस्त सम्बन्धित वादीगण/अपीलार्थी/अधिवक्तागण को सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

(अरविन्द कुमार गुप्त)
सहायक निबन्धक